



2026:AHC:169245

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 27306 वर्ष 2026

तरुण भडाना

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहित कुमार सिंह, सुजाता चौधरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक की अधिवक्ता सुजाता चौधरी और राज्य की ओर से एजीए-। डॉ. एस.बी. मोर्य के तर्क सुने।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 221/2024 में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 85, 80(2), 115(2), 103(1), 61(2) और आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत थाना दनकौर, जिला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज है।
3. आवेदक की अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक मृतका का देवर है और आरोप के अनुसार उसने परिवार के अन्य सदस्यों (जिनमें मृतका का पति भी शामिल है) के साथ मिलकर उसकी हत्या की, लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे हैं। वह आगे कहती हैं कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वह आगे कहती हैं कि सह-आरोपी दीपक भडाना (मृतका का पति) को भी इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है और उसका ज़मानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ-208 पर लगा है; आवेदक का मामला उससे बेहतर स्थिति में है।
5. वह आगे कहती हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह 24.08.2024 से यानी लगभग दो साल से जेल में है।
6. इसके विपरीत, एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदक की अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्कों को गलत नहीं ठहरा सके।
7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और मामले के अभिलेख को देखा।
8. आवेदक मृतका का देवर है और आरोप के अनुसार उसने परिवार के अन्य सदस्यों (जिनमें मृतका का पति भी शामिल है) के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या की। शिकायतकर्ता के अनुसार भी, जब वह घटनास्थल पर पहुँचा तो आवेदक अपने घर पर मौजूद था और कथित हथियार भी बरामद हुआ था, लेकिन कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। इसके अलावा, मृतका के पति दीपक भडाना को भी इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है।
9. साथ ही, शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में आवेदक सहित सभी आरोपियों पर केवल सामान्य आरोप लगाए हैं।
10. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह 24.08.2024 से, यानी लगभग दो साल से जेल में है।
11. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
13. आवेदक - **तरुण भडाना** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का स्वीय बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-



(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक बिना न्यायालय की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएगा।

14. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

12 अगस्त, 2026

एके पाण्डेय